

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & 05964- 225234
पत्रांक: 6986 / 12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 23 मई, 2025।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय:- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत आदिचौरा से सिन्नी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 10.35 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं०: 13621/2015)।

सन्दर्भ:- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक 1073/12-1 दिनांक 26.09.2024 व इस कार्यालय का पत्रांक 5575/12-1 दिनांक 20.03.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें विषयक वन भूमि हस्तांतरण प्रकरण में विधिवत स्वीकृति चाहने के क्रम में पूर्व में आख्या प्रेषित की गयी थी। पुनः प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी के सन्दर्भित पत्र के क्रम में आख्या निम्नवत प्रेषित है-

क्र०सं०	आपत्ति	आख्या
1	राज्य सरकार कैम्पा कोष में जमा धनराशि अनुसार विधिवत स्वीकृति से पूर्व संशोधित सी०ए० स्कीम इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	संशोधित सी०ए० स्कीम संलग्न।
2	के०एम०एल० का अवलोकन उपरान्त प्रस्तावित समरेखन में इतर परिवर्तन पाया गया है, तथा स्वीकृत समरेखन का पालन न करने के फलस्वरूप प्रस्ताव में अधिक वृक्षों का पातन होगा, जो कि एफ.सी.ए., 1980 के नियमों का उल्लंघन है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि प्रस्ताव में एफसी०ए०, 1980 के नियमों का उल्लंघन हेतु सम्बन्धित डी०एफ०ओ० की उचित कार्यवाही की विस्तृत रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	स्थलीय निरीक्षण आख्या संलग्न।

संलग्न:- यथोक्त।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

पत्रांक:- 6986 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि० धारचूला।

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन

परियोजना विवरण:- जनपद पिथौरागढ़ में पी0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत आदिचौरा से सिन्नी मोटर मार्ग का निर्माण।

परियोजना हेतु हस्तांतरित कुल वन भूमि का क्षेत्र- 10.35 हे०

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का क्षेत्रफल- 20.70 हे० सिविल भूमि

वृक्षारोपण स्थल का नाम:- ग्राम- सिणी

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या:- 1600

क्रम सं०	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रु०)	प्रति	घनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	सर्वे एवं सीमांकन	1	है०	97	है०	97
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान)	0.7	है०	584	है०	408.8
3	लैंटाना/काला बांसा/गाजर घास					
अ	लैंटाना काला बांसा/गाजर घास को जड़	0.3	है०	5647	है०	1694.1
ब	लैंटाना काला बांसा/गाजर घास को क्षेत्र के बाहर नष्ट करना	0.3	है०	1882	है०	564.6
4	जल संरक्षण कार्य	1	है०	7750	है०	7750
5	कंटूर फर्रे खुदान (600 र०मी० प्रति हे०)	600	र०मी०	7.33	प्रति है०	4398
6	अग्रिम दीवाल बन्दी (फेन्सिंग) 84घन मी० प्र०है०	84	घन मी०	315	प्रति घन मी०	26460
7	गड्डे खुदान (0.30X0.30X0.45)	1600	है०	7.33	है०	11728
8	निरीक्षण बटिया बनाना	1	है०	485	है०	485
9	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष) (10 % अतिरिक्त)	1760	है०	5.89	है०	10366.4
10	रोपण क्षेत्र में प्रवेश हेतु दो तरफा सीढ़ी	1	संख्या	662	प्रति सीढ़ी	662
11	अन्यव्यय जैसे यंत्र, संयंत्र, औजार तेज करना व वर्षा जल संग्रहण हेतु आवश्यकतानुसार गड्डे खोदना	1	है०	400	है०	400
	योग प्रथम चरण					65013.9

द्वितीय चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	गड्डे भरान का कार्य (0.30X0.30X0.45)	1600	गड्डे	1.15	गड्डे	1840
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष) कुल व्यय का 10 प्रतिशत अतिरिक्त	1760	पौध	1.15	पौध	2024
3	पौध दुलान कार्य	1760	पौध	6.39	पौध	11246.4

4	पौधारोपण व थालबन्दी	1600	गड्डे	2.06	गड्डे	3296
5	कंटूर फर्रे में बीज बुवाई	600	र मी०	0.69	र०मी०	414
6	निराई गुडाई व मल्लिंग (दो बार) (@0.76X2)	1600	गड्डे	1.52	गड्डे	2432
7	खाद व दवा पर व्यय	1600	है०	0.21	प्रति है०	336
8	प्रथम वर्ष में वृक्ष या रोपण की देखरेख व रखरखाव पर व्यय	1	है०	5960	है०	5960
9	कंटूर फर्रे खुदान कार्य जल संरक्षण हेतु	1000	र मी०	7.33	र०मी०	7330
10	1- वृक्षारोपण क्षेत्रों के अर्न्तगत सूखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1	है०	350	है०	350
	2- सुरक्षा दीवाल/घेरबाढ के बाहर 4 मीटर की पट्टी साफ करना	1	है०	225	है०	225
	3- वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है०	400	है०	400
11	अन्य व्यय साईन बोर्ड, पौध डुलान हेतु टोकरी, सुतली बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलीथीन सीट क्रय वर्ष में 2-3 बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यों को प्रचार-प्रसार एवं डेक्क्यूटेशन आदि कार्य।	1	है०	700	है०	700
	योग द्वितीय चरण					36553.4

तृतीय चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	7152	है०	7152
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सूखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1	है०	350	है०	350
	2.2- सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1	है०	225	है०	225

1	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है०	310	है०	310
3	कन्टूर फर्रे खुदान जल संरक्षण हेतु	1000	र०मी०	7.33	प्रति र०	7330
4	कुली वालिंग मरम्मत कार्य	35	घन मी०	197	प्रति घनमी०	6895
	योग तृतीय चरण					22262

चतुर्थ चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	7152	है०	7152
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1	है०	350	है०	350
	2.2- सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1	है०	225	है०	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है०	310	है०	310
3	वाटर हार्वेस्टिंग टैंक निर्माण	5	संख्या	3000	प्रति	15000
	योग चतुर्थ चरण					23037

पंचम चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	7152	है०	7152
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1	है०	350	है०	350
	2.2- सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1	है०	225	है०	225

1	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है०	310	है०	310
3	कन्दूर फर्रे खुदान जल संरक्षण हेतु	1100	र०मी०	7.33	प्रति र०	8063
	योग पंचम चरण					16100

षष्ठम चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	7152	है०	7152
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1	है०	350	है०	350
	2.2- सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1	है०	225	है०	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है०	310	है०	310
3	वानस्पतिक चैक डेम निर्माण कार्य	5	संख्या	3000	प्रति	15000
	योग षष्ठम चरण					23037

सप्तम चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	7152	है०	7152
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1	है०	350	है०	350
	2.2- सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1	है०	225	है०	225

	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है०	310	है०	310
3	वाटर हार्वैस्टिंग टैंक निर्माण	4	संख्या	3000	प्रति	12000
	योग सप्तम चरण					20037

अष्टम चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	7152	है०	7152
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1	है०	350	है०	350
	2.2- सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1	है०	225	है०	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है०	310	है०	310
3	कुली वालिंग मरम्मत कार्य	30	घन मी०	197	प्रति घनमी०	5910
4	वानस्पतिक चैक डेम निर्माण कार्य	4	संख्या	3000	प्रति	12000
	योग अष्टम चरण					25947

नवम् चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	7152	है०	7152
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1	है०	350	है०	350
	2.2- सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1	है०	225	है०	225

	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है०	310	है०	310
3	कुली वालिंग मरम्मत कार्य	27	घन मी०	197	प्रति घनमी०	5319
	योग नवम् चरण					13356

दशम् चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	7152	है०	7152
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास-फुस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1	है०	350	है०	350
1	2.2- सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1	है०	225	है०	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है०	310	है०	310
	योग दशम चरण					8037
	कुल योग (प्रथम चरण से दशम चरण)					253380.3
						या 2,53,332/-

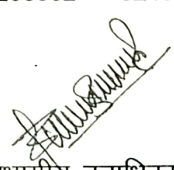
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आगणित कुल व्यय प्रति है०

253332.00 रु०

योजना निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल

= 20.70 है०

क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु कुल धनराशि 20.70 है० X 253332 = 5243972.40


प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

निरीक्षण रिपोर्ट

विषय – जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित आदिचौरा से सिन्नी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 10.35 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, धारचूला, प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ एवं फील्ड स्टाफ द्वारा दिनांक 22.04.2025 को विषयक मार्ग के समरेखण का स्थलीय निरीक्षण किया गया। मार्ग के०एम०एल से तुलना करने पर कतिपय स्थानों पर समरेखण में परिवर्तन प्रतीत होता है। यद्यपि प्रस्तावक विभाग के अनुसार समरेखण में यह परिवर्तन तकनीकी दक्षता की कमी के कारण त्रुटिपूर्ण के०एम०एल० अपलोड किये जाने से है। इस सम्बन्ध में वन क्षेत्राधिकारी डीडीहाट द्वारा अवगत कराया गया है कि स्वीकृत समरेखण में छपान सूची के अनुसार छपान किये गये वृक्षों का ही पातन एवं तदनुसार मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है। अतः मार्ग निर्माण से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।



अधिशासी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस० वाई० खण्ड,
लो०नि०वि० धारचूला।



वनक्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
डीडीहाट



प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।